वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव (भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग—4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता प्राधिकृत अधिकारी सिनियर प्रोजेक्ट मेनेजर, टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड इंदौर (मध्यप्रदेश) द्वारा कबीरधाम जिला के कवर्धा वनमण्डल क्षेत्र अंतर्गत बोड़ला ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गो के मौजूदा राईट—ऑफ—वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वन भूमि रकबा 0.536 हे. के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक दुर्ग वृत्त, दुर्ग, छत्तीसगढ़ के अभिमत से सहमत होते हुए रकबा 0.536 हे. वनभूमि में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः 06/02/2024
स्थानः अरण्य भवन, नवा रायपुर

6/2/24

(व्ही. श्रीनिवास राव)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़, रायपुर

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840 | **ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in**

क्र0/भू–प्रबंध/विविध–ए/115–918/ 424 | नवा रायपुर, दिनांक 06/02/2024

प्रति,

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
महानदी भवन, अटल नगर
नवा रायपुर

विषयः– **कवर्धा जिले के कवर्धा वन मंडल अंतर्गत वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु Telesonic Network लिमिटेड द्वारा 4G OFC Cable line Banjari to Bodla Village in Kawardha Division हेतु क्षेत्रफल 0.536 हे. का व्यपवर्तन प्रस्ताव।**

– **पंजीयन कमांक – FP/CG/OFC/154845/2022**

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक दुर्ग वृत्त का पत्र क्रमांक/तक.अधि./8166 दिनांक 01.12.2023

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त द्वारा अनुशंसा उपरांत वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोड़ल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार हैः–

बिंदु क्र.	संक्षिप्त विवरण	पृष्ठ क्र.
1	**आवेदक विभाग का मांग पत्र** – आवेदनकर्ता प्राधिकृत अधिकारी सिनियर प्रोजेक्ट मेनेजर, टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड इंदौर (मध्य प्रदेश) द्वारा कबीरधाम जिला के कवर्धा वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत बोड़ला ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट–ऑफ–वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वन भूमि रकबा 0.536 हे. के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत है।	01 से 12 तक
2	**रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु ऑनलाईन एकनालेजमेंट स्लिप की छायाप्रतिः** – रजिस्ट्रेशन FP/CG/OFC/154845/2022 आबंटित किए गए हैं। रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु आनलाईन एक्नॉलेजमेंट स्लिप की छायाप्रति संलग्न है।	13
3	**वन क्षेत्र का विवरणः–** आवेदनकर्ता प्राधिकृत अधिकारी सिनियर प्रोजेक्ट मेनेजर, टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड इंदौर (मध्य प्रदेश)द्वारा कवर्धा वनमण्डल के अंतर्गत वन परिक्षेत्र कवर्धा के वन भूमि में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित रकबा आरक्षित वन 0.346 हे., संरक्षित वन 0.190 हे., कुल आवेदित वन भूमि रकबा 0.536 हे. है।	14 से 15 तक
4	**गैर वन क्षेत्र विवरणः–** कवर्धा वनमण्डल के वन परिक्षेत्र कवर्धा अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु गैर वनक्षेत्र की आवश्यकता नहीं है। इस योजना अंतर्गत गैर वन भूमि को शामिल नहीं किया गया है।	16
5	**प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल परः–** प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनक्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का टोपोशीट 1:50000 स्केल पर मानचित्र संलग्न है।	17 से 20 तक
6	**वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैपः–** प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनक्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।	21 से 23 तक

7	**प्रपत्र–4 में प्रस्ताव :–** आवेदनकर्ता प्राधिकृत अधिकारी सिनियर प्रोजेक्ट मेनेजर, टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड इंदौर (मध्य प्रदेश) द्वारा कवर्धा वनमण्डल के वन परिक्षेत्र कवर्धा अन्तर्गत बंजारी से बोड़ला वन भूमि में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वन भूमि रकबा 0.536 हे. का चयन किया जाना अपरिहार्य एवं अनिवार्य हैं। प्रस्तावित कार्य विद्यमान मार्गों के राईट ऑफ वे में किया जाना है अतः इसमें वृक्ष विदोहन नही होना है। कबीरधाम जिला के क्षेत्रांतर्गत बोड़ला ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने से समस्त ग्राम पंचायत डिजिटलीकृत हो जायेंगे जिससे ग्राम वासियों के पंचायत सम्बंधित कार्य त्वरित गति से तथा सुचारू रूप से सम्पादित होंगे।	24 से 29 तक
8	**प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप :–** आवेदनकर्ता प्राधिकृत अधिकारी सिनियर प्रोजेक्ट मेनेजर, टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड इंदौर (मध्य प्रदेश)द्वारा कवर्धा वनमण्डल के वन परिक्षेत्र कवर्धा के अंतर्गत बंजारी से बोड़ला में ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क स्थापित किया जायेगा जिसके अंतर्गतराज्य के ग्रामीण एवं आदिवासी अंचल के लोग मोबाईल फोन एवं इंटरनेट के माध्यम से देश एवं दुनिया से संपर्क स्थापित कर सकेंगे।प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कबीरधाम जिले के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत बंजारी से बोड़ला तक मुख्य मार्ग के 10.720 कि.मी. 4जी समांतर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाना है ताकि इस मार्ग के आस पास की सभी आबादी इस सुविधा से लाभान्वित हो सके। इस हेतु कवर्धा वनमंडल के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत तक मुख्य सड़क के समानांतर 10.720 कि.मी. 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 0.536 हे. प्रस्तावित है। जिसमे कवर्धा वनमंडल के अंतर्गत परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत बंजारी से बोड़ला के आरक्षित वनभूमि रकबा 0.346 हे., संरक्षित वनभूमि रकबा 0.190 हे. तथा राजस्व वनभूमि रकबा 0.000 कुल रकबा 0.536 हेक्टर आवश्यक है।	30
9	**न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र :–** प्रस्तावित वन क्षेत्र के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं हैं। इस संबंध में की जा रही वन भूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम हैं। प्रमाण पत्र संलग्न है।	31
10	**अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो/जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही :–** इस प्रस्ताव के अंतर्गत किसी भी प्रकार के अधिनियम उल्लंघन के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निरंक है एवं उनके विरुध्द किसी भी प्रकार के अधिनियंम उल्लघंन की गई कार्यवाही प्रस्तावित नही है।	32
11	**वनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम, पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगा:–** भाग–2 पर वनमंडलाधिकारी कवर्धा वनमंडल द्वारा स्थल निरीक्षण दिनांक 19.10.2023 से प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।	33 से 39 तक
12	**ऐतिहासिक प्रमाण पत्र :–** आवेदित वन क्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने में ऐतिहासिक स्थल एवं पुरातात्विक स्थल प्रभावित नहीं हो रहे है।	40
13	**संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र :–** कबीरधाम जिला क्षेत्रांतर्गत बोड़ला ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट–ऑफ–वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	41 से 43 तक
14	**जिले की कुल वन भूमि रकबा हे. में:–** कबीरधाम जिले की कुल वन भूमि रकबा 158830.00 हे. है।	44
15	**वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में:–** वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 अंतर्गत कबीरधाम जिले के स्वीकृत 19 प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा 1206.651 हे. है।	45
16	**वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा हे. में:–** वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 अंतर्गत कबीरधाम जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी के 04 प्रकरणों मे की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा 13.579 हे. है।	46
17	**प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र कमांक/ एफ–5–20/2007/10–2 दिनांक 12/01/2010) :–** प्रस्तावित वनक्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान, हाथी कॉरिडोर, वन्यप्राणी अभ्यारण्य प्रस्तावित नहीं है एवं ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित नहीं है।	47
18	**वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा)। (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र कमांक/ F.No. 11–9/1998 दिनांक 03/08/2009):–** आवेदित क्षेत्र के लिए वन अधिकार सम्बन्धी प्रमाण पत्र कलेक्टर कबीरधाम द्वारा जारी की गई है जो प्रस्ताव में संलग्न है।	48 से 50 तक

19	**राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्रा कमांक भू–प्र/1317 दिनांक 25/05/2007):–** आवेदित क्षेत्र में राजस्व वन भूमि सम्मिलित नहीं है। राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर कबीरधामद्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी की गई है जो प्रस्ताव में संलग्न है।	51 से 53 तक
20	**पंजीयन क्रमांक–पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र कमांक/एफ–7–22/2009/10–2 दिनांक 31/07/2009):–** पंजीयन शुल्क तथा प्रस्संकरण (प्रोसेसिंग) शुल्क कुल राशि 35000 रूपये जमा कर दिया गया है। जिसे जिला कोषालय में चालान नम्बर 36 दिनांक 14.07.2022 द्वारा वन मण्डलाधिकारी कवर्धा के पी. डी. खाते में जमा कर दिया गया है।	54 से 56 तक
21	**राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण के अंदर में ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुशंसाः–** प्रस्तावित वन भूमि भोरमदेव वन्यप्राणी अभ्यारण्य के अंतर्गत नहीं आ रहा है। अतः इस प्रस्ताव हेतु वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) रायपुर का अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है।	57
	डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट एवं मैप सी.डी.सहित	58 से 77 तक

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ का अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 सहित वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 02 प्रति में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– 1. प्रस्ताव 02 प्रति में (मय डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट)
2. संदर्भित पत्र की छाया प्रति
3. भाग–4
4. टाईम लाईन

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.सं (भू–प्रबंध /व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू–प्रबंध/विविध–ए /115–918/ 405 नवा रायपुर, दिनांक 06/02/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, दुर्ग वृत्त, दुर्ग, छत्तीसगढ़।
2. **वनमंडलाधिकारी**, कवर्धा वनमंडल, कवर्धा, छत्तीगसढ़।
3. Telesonic Networks Limited, 3rd & 4th Floor, Scheme No.. 54 A.B. Road metro Towers Near Vijay Nagar Square, Indor (MP) 452010.

अ.प्र.मु.व.सं (भू–प्रबंध /व. सं. अ)
छत्तीसगढ़